L.P.
N. 103
27.1.26

rediffmail

Mailbox of skkataria64

Subject: Aurat term to be banned

From: Surendra Kataria<skkataria64@rediffmail.com> on Mon, 02 Feb 2026 15:21:39

To: "ncw@nic.in"<ncw@nic.in>,"lo-ncw@nic.in"<lo-ncw@nic.in>,"sro-ncw@nic.in"<sro-ncw@nic.in>

1 attachment(s) - Aurat_mentioned_on_railway_instructions.pdf (80.99KB)

दिनांक- 27 -01 -2026
माननीय गृह मंत्री जी
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली।
विषय- 'औरत ' शब्द का उपयोग नहीं करने के क्रम में।
महोदय,

सादर निवेदन है कि भारत में मुस्लिम शासन और मुग़लकाल के प्रभाव से एक अरबी शब्द 'औरत' का समाज, मीडिया और सरकार इत्यादि सभी स्तरों पर बहुतायत में उपयोग होता है जबकि इसके विकल्प शब्द स्त्री या महिला इत्यादि उपलब्ध हैं। वस्तुत: अरबी भाषा में औरत का अर्थ 'महिला जननांग' होता है न कि महिला। इस शब्द के विरोध में कई बार लोगों ने अनेक मंचों पर आपत्ति की है किन्तु राजभाषा विभाग ने कभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया है।

निवेदन है कि जब हम कई शहरों/कस्बों के नाम परिवर्तित कर चुके हैं तो ऐसे आपत्तिजनक शब्द को क्यों अपनाये हुए हैं? इस पत्र के साथ भारतीय रेलवे के डिब्बों के अंदर लगे निर्देश बोर्ड की प्रति संग्लग्न कर रहा हूँ जिसमें "महिलाओं से छेड़खानी दंडनीय अपराध है", शीर्षक के अंत में यह लिखा है 'भारतीय रेल औरतों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है'. कितना अच्छा होता यदि यहाँ भी औरत की जगह महिला लिखा होता।

आपसे प्रार्थना है कि यदि सामाजिक स्तर पर औरत शब्द वर्जित नहीं किया जा सकता है तो कम से कम सरकारी स्तर पर तो इसे काम में लेना रोका ही जा सकता है।

आशा है आपका विभाग और राष्ट्रीय महिला आयोग इस और ध्यान देंगे। सादर.

निवेदक
सुरेंद्र कटारिया

प्रतिलिपि -
1 . अध्यक्ष महोदया , राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली

Scanned with OKEN Scanner